चार दिसंबर को करेगा अंतिम सुनवाई

यालय ने मंगलवार को
राहुल गांधी और उनकी
2011-12 के आयकर
र से खोलने से संबंधित
यायालय के आदेश को
ी याचिकाओं पर चार
से दलीलें सुनी जायेंगी।
इस मामले में आयकर
और सोनिया गांधी के
ा करने का अवसर देते
से इंकार कर दिया था।
और न्यायमूर्ति एस ए
ने राहुल और सोनिया
कोई नोटिस जारी नहीं
भाग की ओर से उसके
स्थित थे।
ने इस मामले में शीर्ष
खिल कर रखी थी कि
देश के खिलाफ कोई
थति में उसका पक्ष सुना
एक न्यायिक प्रक्रिया है
से संबंधित किसी भी
देश प्राप्त करने से रोकने
किया जाता है। पीठ ने
कहा, "चूंकि प्रतिवादी
पस्थिति दर्ज करायी है,
जारी नहीं कर रहे हैं।

हालांकि, हम मामले की अंतिम सुनवाई के लिये चार दिसंबर की तारीख निर्धारित कर रहे हैं।"

राहुल गांधी, सोनिया गांधी और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आस्कर फर्नाण्डीज ने अपनी अपील में उच्च न्यायालय के 10 सितंबर के फैसले को चुनौती दी है। कांग्रेस नेताओं के खिलाफ आयकर विभाग का मामला नेशनल हेराल्ड प्रकरण से जुड़ा है जिसमे ये सभी आपराधिक कार्यवाही का सामना कर रहे हैं। कांग्रेस नेताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता पी चिदंबरम, कपिल सिब्बल और अरविन्द दातार पेश हुये। चिदंबरम ने जब आयकर विभाग के मामले के संदर्भ में इसकी पृष्ठभूमि बताने का प्रयास किया तो पीठ ने कहा, "इसकी पृष्ठभूमि से हमारा सरोकार नहीं है परंतु सवाल आयकर के पुनः निर्धारण के लिये नोटिस (आयकर विभाग द्वारा जारी) के बारे में है। सवाल यह है कि क्या यह नोटिस वैध है या नहीं। इस मामले में सुनवाई शुरू होते ही पीठ ने कहा कि उसकी राय है कि गांधी ये मुद्दा कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष उठा सकते हैं।

हालांकि, चिदंबरम ने कहा कि सवाल आय कर विभाग द्वारा उन्हें नोटिस देने के बारे में है और इसका निर्णय करना होगा कि क्या यह सही है या नहीं। आय कर विभाग की ओर से सालिसीटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि राहुल और सोनिया गांधी तथा फर्नाण्डीज द्वारा उठाया गया मुद्दा गलत है। इस पर पीठ ने कहा कि याचिकाओं में उठाये गये मुद्दे पर विचार की जरूरत है। सुनवाई के दौरान पीठ ने कहा कि इसके लिये दो विकल्प है। पीठ ने कहा एक विकल्प है कि, "हम नोटिस जारी करेंगे परंतु हम कहेंगे कि कर निर्धारण अधिकारी निर्धारण कार्यवाही आगे बढ़ाए। हालांकि, उसके अंतिम निर्णय पर अमल नहीं किया जायेगा और उसे इस न्यायालय के समक्ष रखा जायेगा। दूसरा विकल्प यह है कि हम दो सप्ताह बाद इसकी सुनवाई करेंगे और आप सभी हमारी मदद कर सकते हैं। उच्च न्यायालय का फैसला लंबा है।" उच्च न्यायालय ने राहुल गांधी और सोनिया गांधी का 2011-12 के कर निर्धारण फिर से करने के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी थी। कांग्रेस नेताओं के खिलाफ आयकर विभाग की जांच भाजपा नेता सुब्रमणियन स्वामी द्वारा नेशनल हेराल्ड मामले के सिलसिले में दायर निजी शिकायत की जांच से निकली है। नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस के तीनों नेता इस समय जमानत पर हैं। सोनिया गांधी और राहुल गांधी को निचली अदालत ने 19 दिसंबर, 2015 को जमानत दी थी। - **पीटीआई**

रखने के लिए समिति गठित

नयी दिल्ली। बैंक्वेट हॉलों, फॉर्महाउसों और होटलों में कार्यक्रमों के दौरान होने वाले प्रदूषण और ट्रैफिक जाम पर संज्ञान लेते हुए राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने पर्यावरण के क्षरण के लिए जिम्मेदार गतिविधियों को रोकने हेतु एक समिति का गठन किया है। अधिकरण ने समिति से इस संबंध में कार्य योजना तैयार करने को भी कहा। एनजीटी प्रमुख न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि विवाह स्थल अनुमति लिये बिना शादी तथा अन्य कार्यक्रमों का आयोजन करके नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। अधिकरण ने संयुक्त समिति का गठन किया जिसमें नगर निगमों, केन्द्रीय भूजल प्राधिकरण, दिल्ली जल बोर्ड, दिल्ली पुलिस और दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति के प्रतिनिधि शामिल होंगे।

अंतर्राष्ट्रीय शेयर बाजार सूचकांक

Name	Last Trade	Change (%)
Nikkei 225	21,810.52	-2.11
Straits Times	3,053.60	-0.48
Hang Seng	25,792.87	0.62
Taiwan Weighted	9,775.84	-0.57
Jakarta Composite	5,835.20	1
Shanghai Composite	2,654.88	0.92
Dow Jones	-	-
Nasdaq	-	-
S&P	-	-
DAX*	11387.13	+ 0.54
CAC 40*	5063.31	+ 0.08
FTSE 100*	7065.71	+ 0.18

*(*यह आंकड़े शाम 06:00 बजे तक के हैं)*

उप्र सरकार के मंत्री ने की बड़े नोट बंद करने की मांग

लखनऊ। उप्र सरकार में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने मांग की कि भ्रष्टाचार समाप्त करने के लिये 500 और 2000 रूपये के बड़े नोट बंद कर देने चाहिये। मंत्री राजभर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के प्रमुख हैं और प्रदेश की भाजपा सरकार में सहयोगी हैं। उन्होंने ट्वीट कर कहा अगर भ्रष्टाचार खत्म करना है तो 500-2000 रुपये के बड़े नोट बंद कर देने चाहिए। सरकार 1 रुपये से 100 रुपये तक के नोट चलाये। तभी भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी। - **पीटीआई**

ट्रेटासाक्लिन है।
थ्य सामने आया है कि
र वसा (एसएनएफ)
पालन के सीधे दूधवाले
अधिक पाया गया।
इस मानदंड का गैर
ला। अग्रवाल ने कहा
कों पर प्रसंस्कृत दूध में
स्तर ऊंचा है जो चिंता
कि, यह कच्चे दूध यानी
खरीदे गए दूध की

- **पीटीआई**

एशिया प्रशांत क्षेत्र में
के लिए खाद्य और
ा सुनिश्चित करने के
षि और ग्रामीण विकास
में कृषि सहकारी
नका के बारे में सरकारों
नाता है।
म में नेडाक के सदस्य
ा भाग लेंगे। प्रारंभ में,
याई देशों के सदस्यों के
री संगठन थे। भारत की

ओर से, केंद्रीय कृषि मंत्रालय और एनसीडीसी इसके प्रारंभिक सदस्य थे। मौजूदा समय में, नेडाक में 24 संगठन सदस्य हैं। इसका सचिवालय बैंकाक के एफएओ एनेक्सी में है।

नेडाक की आम सभा पूसा स्थित एनएएससी परिसर में आयोजित की जायेगी। इसकी पिछली बैठक जुलाई 2016 में काठमांडौ में हुई थी। इस बैठक में सदस्य देशों के बीच परस्पर सूचनाओं और सहयोग का मंच तैयार करने के मकसद से एक पोर्टल शुरु करने का प्रस्ताव भी पेश किया जायेगा।

- **पीटीआई**

रिजर्व...

समर्थन मूल्य (एमएसपी) में वृद्धि का असर उपभोक्ता जिंसों पर पड़ने, कच्चे तेल के दाम में तेजी आने और वैश्विक वित्तीय बाजारों के उतार चढ़ाव को ध्यान में रखने की जरूरत है। सरकार के वित्तीय घाटे के लक्ष्य से चूकने और रुपये की विनिमय दर में गिरावट का प्रभाव भी मुद्रास्फीति को कितना प्रभावित कर सकता है यह देखना होगा।

- **पीटीआई**

श्री कल्याण होल्डिंग्स लिमिटेड

CIN: L67120RJ1993PLC061489
पंजीकृत कार्यालय : बी-19, लाल बहादुर नगर, मालवीय नगर, जयपुर-302017 (राजस्थान), फोन व फैक्स: 0141-2554270, 0141-4034062
वेबसाईट: www.shrikalyan.com, ई-मेल: shrikalyan25@hotmail.com

30 सितम्बर, 2018 को समाप्त तिमाही एवं अर्द्धवार्षिक वर्ष के लिए गैर अंकेक्षित वित्तीय परिणामों के विवरणों का सार (रु. लाखों में)

क्र. सं.	विवरण	समाप्त तिमाही 30.09.2018 गैर अंकेक्षित	समाप्त अर्द्धवार्षिक 30.09.2018 गैर अंकेक्षित	समाप्त तिमाही 30.09.2017 गैर अंकेक्षित
1.	परिचालनों से कुल आय (शुद्ध)	102.14	281.17	232.75
2.	अवधि का शुद्ध लाभ/(हानि) (कर, असाधारण और/ या असाधारण वस्तुओं से पहले)	-17.06	3.77	34.31
3.	कर के पहले शुद्ध लाभ/(हानि) (असाधारण और/या असाधारण वस्तुओं के बाद)	-17.06	3.77	34.31
4.	कर के बाद शुद्ध लाभ/(हानि) (असाधारण और/ या असाधारण वस्तुओं के बाद)	-17.06	3.77	34.31
5.	अवधि के लिए कुल व्यापक आय [अवधि के लिए लाभ/हानि (कर के बाद) एवं अन्य व्यापक आय (कर के बाद) को शामिल करते हुए]	-17.06	3.77	34.31
6.	समता अंश पूंजी	997.45	997.45	997.45
7.	रिजर्व (पूर्व लेखा वर्ष के तुलन पत्र के अनुसार पूनर्मूल्यांकन रिजर्व के अतिरिक्त)	-	-	-
8.	आय प्रति शेयर (रु. 10/- प्रति का)			
	मूल	-0.17	0.04	0.34
	तरल	-0.17	0.04	0.34

टिप्पणी : (अ) उपरोक्त विवरण सेबी (सूचीबद्धता एवं डिस्क्लोजर आवश्यकता) विनियमन, 2015 के विनियमन 33 के अंतर्गत स्टॉक एक्सचेंज के पास दाखिल की गई 30 सितम्बर, 2018 को समाप्त तिमाही एवं अर्द्धवार्षिक वर्ष के गैर अंकेक्षित वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का सार है। 30 सितम्बर, 2018 को समाप्त तिमाही एवं अर्द्धवार्षिक वर्ष के गैर अंकेक्षित वित्तीय परिणामों का संपूर्ण प्रारूप बाम्बे स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाईट www.bseindia.com तथा कम्पनी की वेबसाईट www.shrikalyan.com पर उपलब्ध है। (ब) 30 सितम्बर को समाप्त हुए तिमाही एवं अर्द्धवार्षिक वर्ष के उपर्युक्त गैर अंकेक्षित वित्तीय परिणाम की समीक्षा एवं सिफारिश लेखा परीक्षा समिति द्वारा की गई एवं 13 नवम्बर, 2018 को आयोजित बैठक में निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया गया।

वास्ते श्री कल्याण होल्डिंग्स लिमिटेड
हस्ता./-
राजेन्द्र कुमार जैन
अध्यक्ष सह पूर्णकालिक निदेशक (DIN:00168151)

दिनांक : 13 नवम्बर, 2018
स्थान : जयपुर